हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अंजूम बानों बनाम लो.सू.अ.(तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 247/2020	

अपीलार्थी अंजुम बानो पत्नी अब्दुल माजिद खान, पता हाथी नीम बाईजी का तालाब, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.11..20 में उसके द्वारा (1) ग्राम चौपासनी जागीर के नामान्तरकरण पंजिका संख्या 1 से 300 तक की प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक सू. अ.अ./2020/542 दिनांक 20.10.20 को सूचित किया गया कि नामा. संख्या 1 से 300 तक की 20.00 रूपये प्रति पेश की दर से राशि 6000 सरकार नियमानुसार आपको जमा कराने हेतु लिखा गया, किन्तु मात्र 600 रूपये के पोस्टल ऑर्डर कार्यालय में जमा करवाये तथा शेष राशि 5400 जमा कराने हेतु सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थीया ने अपील में बतलाया कि सूचना का अधिकार नियम, 2005 के नियम 4(1)(क) में स्पष्ट रूप से निर्देशित है ए–4 व ए–3 आकार के पृष्ठ का प्रतिलिपि शुल्क अक्षरे दो रूपये है तथा बिन्दु–2 का प्रत्युत्तर सही नहीं है अतः प्रार्थीनी ने चाही सूचना हेतु रूपये 2.00 प्रति पृष्ठ संपूर्ण शुल्क रूपये 600.00 अदा कर दिये है। लोक सूचना अधिकारी लो.सू.अ..(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

अपील के संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि कि तहसीलदार जोधपुर ने अपने पत्रांक 531 दिनांक 13.11.20 के जरिये चौपासनी जागीर के नामान्तरकरण सं0 1 से 300 तक की प्रमाणित प्रति 20.00 रूपये प्रति पेज की दर से 6000.00 रूपये के स्थान पर 600.00 रूपये जमा कराने हेतु प्रार्थीया को लिखा गया तथा उक्त पत्र के आधार पर प्रार्थीया ने 600/– रूपये का पोस्टल ऑडर तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया। तहसीलदार जोधपुर ने पुनः पत्रांक 547 दिनांक 20.11.2020 के जरिये प्रार्थीया को सूचित किया गया कि शेष राशि 5400.00 रूपये शीघ्र जमा कराने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थीया ने शेष रकम जमा नहीं करवा कर इस कार्यालय में अपील प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) का परिपत्र कमांक प. 20(84)प्रसु/सूअप्र/2009 पार्ट जयपुर दिनांक 12.10.2018 में स्पष्ट किया

लगातार...

गया " यदि किसी विशेष अधिनियम में दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम, 2005 के प्रावधान लागू न होकर उक्त विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें। " उपरोक्त परिपत्र को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार जोधपुर ने विधिक प्रावधानों के तहत प्रति नामान्तरकरण 20/– रूपये जमा कराने हेतु प्रार्थीया को कहा गया वो उचित ही है तथा प्रार्थीया अब भी सूचना प्राप्त करने हेतु गंभीर है तो शेष शुल्क राशि जमा करवा कर सूचना प्राप्त कर सकती है। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।